

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग

Date: 04/06/19
Date: 04/06/19

क्रमांक प 2(2)(43)का/क-3/शिका./06

जयपुर, दिनांक 03/06/19

DST

आदेश

Add. Dir (F&L)

3-6-19

डॉ सजय कुमार विमल, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कावट, जिला सीकर को अपराध सख्या 154/2006 मे माननीय विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम-1, जयपुर के निर्णय दिनांक 11/10/18 द्वारा इनके विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 मे दोषसिद्ध करते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास व रूपये 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है

अत राज सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ सजय कुमार विमल, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कावट, जिला सीकर को एतद्वारा राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

डॉ सजय कुमार विमल, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कावट, जिला सीकर का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राज जयपुर के कार्यालय मे रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

(एस आर पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि -

- 1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- 2 वरिष्ठ उपा शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 4 अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज जयपुर को डॉ. सजय कुमार विमल, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कावट, जिला सीकर के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ० विमल को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
- 5 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
- 6 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राज जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ सजय कुमार विमल, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कावट, जिला सीकर को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पत्रिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करे एवं इसके अतिरिक्त उन्हे यह भी निर्देश देवे कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नही छोडे। इन्हे इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते के बराबर उन्हे निलम्बन काल मे निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
- 7 डॉ सजय कुमार विमल, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कावट, जिला सीकर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राज जयपुर के कार्यालय मे इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पत्रिका में उपस्थिति अंकित करे। उन्हे यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नही छोडे।
- 8 कार्मिक (क-1/गो प्र) विभाग
- 9 कोषाधिकारी, जयपुर।
- 10 रक्षित पत्रावली।

(एन एल राव)
सहायक शासन सचिव

मुख्य भवन, कमरा नं० 1241, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर-302005
दूरभाष नं० 0141-5153222 एक्सटेंशन-21926 फैक्स नं० 0141-2227986

CHC सिवाना (वाइफे)

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक - सीबी/सीएस/एस-399/2019/ 437

दिनांक 4/6/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-3/शिका)विभाग, राज0 जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प2(2)(43)का/क-3/शि/06 दिनांक 03.06.19 के क्रम में।
- 2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-बाडमेर/जयपुर।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर को भेजकर अनुरोध है कि डॉ0 संजय कुमार विमल, तत्का0चि0अ0, प्रा0स्वा0केन्द्र, कावट (सीकर) हाल सामु0स्वा0केन्द्र, सिवाना(बाडमेर) को उक्त निलम्बित आदेश दिनांक 03.06.19 को तामिल करवाकर तामिल रसीद भिजवाना सुनिश्चित करे। साथ ही चिकित्सक को निर्देशित करें कि निदेशालय में निलम्बित काल में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
- 5 आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 6 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/संस्थापन, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
- 7 डॉ0 संजय कुमार विमल, तत्का0चि0अ0, प्रा0स्वा0केन्द्र, कावट (सीकर) हाल सामु0स्वा0केन्द्र, सिवाना (बाडमेर) द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
- 8 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को सबधित अधिकारियों की ई-मेल आईडी एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।
- 9 आदेश/रक्षित पत्रावली।


अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।